

संख्या 00371/2024-2025

प्रारूप-9

12345678901234567890



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

क्रमांकन संख्या: R/MAH/03235/2024-2025

प्राप्तवी नंबर:G-18451

विभाग: १९९३-१९९४

प्राप्तवी राष्ट्रीय नं. G-18451
नवीनीकरण संख्या: R/MAH/03235/2024-2025
एतद्वारा प्रभागित शिक्षा जाता है कि श्री पिण्ड भवयान पनुपति नाथ शिंदा समिति, ग्राम-पंचायत राता, पोट-पिंडपाल, चहसीद-तार, जनपद-महाराष्ट्र, उपरोक्त, महाराज गंग, 273302 को दिये गये रजिस्टरेशन प्रमाण-पत्र संख्या-
1483/1993-1994 दिनांक-07/03/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण शिक्षा पाया है।
1250 रुपये की नवीनीकरण फीस का रूप से प्राप्त हो गयी है।

—> —> —> 21/06/2024

Digitally Signed By
(Shupendra Kumar Singh)
4FF4837637375D21EF38126F4D9CAC877F2D85E3
Date: 23/06/2024 5:48:39 PM, Location: Gorakhpur.
सोलाइटी के गविस्तार,
उत्तर प्रदेश।

117

तर अपनी जाति के लिए विकास का दृष्टिकोण बदलने की चाही तरफ आया है। इसके अलावा अपनी जाति के लिए विकास का दृष्टिकोण बदलने की चाही तरफ आया है। इसके अलावा अपनी जाति के लिए विकास का दृष्टिकोण बदलने की चाही तरफ आया है।

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Piplala, Maharashtra

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pinralala, Maharashtra

आख्तीय गैर न्यायिक

भारत



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AE 643057

जनरल स्टाफ चौ. श्री विष्णु प्रसाद भट्टपत्रि. जनरल शिखा संग्रही
ग्राम-पिराला काला गोरा पिराला
महाराजगढ़ी ग्राम ३०. एवं ४०.
कोरड़ा के माल धरन है।



CON
PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

सहायक रजिस्ट्रार
कम्पो. सोसाइटी नं ४२६ यिद्या
21-7-2021
72-7-2021

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस
रुपये
₹. 10

TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AE 643068

अनल एवं दस रुपये का नाम सिला समाप्त
प्रियराला का दोष प्रियराला
गिरि अद्वारा दिया गया है। 1845।
संकेत संस्कृत



Con
PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

महायक राजिनार
कम. सोमिटोन एवं विद्या
02-07-2011 (३० फू.)
02-07-2011

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पूरा पता
3. संस्था का कार्यक्रम
4. संस्था का उद्देश्य

श्री विष्णु मगवान् पशुपति नाथ शिक्षा समिति
ग्राम-पिप्रलाला, पोस्ट-पिप्रपाती, तहसील-सदर
जनपद - महाराजगंज।
सम्पूर्ण रु. ५००।

- 1- सनातन धैरिक, हिन्दू धर्म और संरक्षित का पोषण, प्रचार-प्रसार करना एवं सर्वधर्म सद्भाव परक व्यवहार तथा प्राणि भाव के कल्याण संबन्धी कार्य करना।
- 2- वैज्ञानिक, तार्किक एवं समुचित आर्थिक दृष्टिकोण के विकास का प्रयास करना।
- 3- रोगी, निर्बल एवं उपेक्षित लोगों की यथासम्भव उपयुक्त सहायता करना।
- 4- प्रेरणादायी एवं लोकोपकारी साहित्य का संग्रह तथा प्रकाशन करना।
- 5- सत्संग, संगोष्ठी, प्रशिक्षण, कार्यशाला, धार्मिक तथा राष्ट्रीय पर्यावरण-उत्सवों का आयोजन करना।
- 6- शिशु से प्रौढ़ तक महिला, अपमंग, तकनीकी, औद्योगिक आदि विविध विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 7- समिति की आर्थिक स्थिति को सुट्ट बनाने तथा उसके विकास के लिए सरकारी, गैर-सरकारी, व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदि से अनुदान, उपहार, शुल्क आदि द्वारा चल-अदल सम्पत्ति अर्जित करना।
- 8- निजी या किसाये या अनुदान द्वारा प्राप्त जिन भवनों में समिति के विद्यालय या अन्य गतिविधियों संचालित होंगी, उनकी एवं उनके परिसर आदि की सुरक्षा, संरक्षा, त्वच्छुता, पर्यावरण एवं मर्यादा को कर्तव्य रखना।
- 9- समिति द्वारा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आदर्शक या आकस्मिक कार्यों की व्यवस्था और योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- 10- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कौशल का विकास, लघु एवं दीर्घ कालीन प्रशिक्षण (Short & long term courses) के लिए अनुदान, छात्रवृत्ति, फेलोशिप (अमरसर्वोपच) तथा जर्जरताद एवं योग्य छात्रों को पितीय सहायता के साथ-साथ शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 11- सुसर्वज्ञ के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, इकाईनक एवं बौद्धिक विकास के लिए ग्रामीणक रत्तर से लेकर जूनियर हाई रकूल, हाई स्कूल, इंस्ट्र, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इंजीनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजों एवं लॉ कालेजों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना।
- 12- शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चित्र नामिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी०१००१०१००१० बोर्ड/आई०१०१०१०१०१० पैट्रन पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।
- 13- नवयुवक एवं नवयुवतियों को नक्किल इलेक्ट्रिकल ड्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे खरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों

प्रिंसिपल:

जितेन्द्रकुमार शर्मा

सदिका श्रीवास्तवा

संस्था

आमनीकुमार

मित्रमुख

जीतेन्द्र

स्वेच्छाकुमार

सीता श्रीवास्तवा रमेता

जीतेन्द्र

जीतेन्द्र

जीतेन्द्र

CX
PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

सहायक रजिस्ट्रार

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

- प्रादिविक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आलनिमर्म बनाने का प्रयास करना।
- 14- निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सार्वभौमिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
- 15- समाज में व्यवसायपरक कम्प्यूटर शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के विक्षण सम्बन्धी एवं विजनेस मैनेजमेंट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आशयक काँलेजों की स्थापना करना।
- 16- भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जैसे कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री जन-घन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नेक इन इण्डिया, प्रधानमंत्री आदास योजना, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुखा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि शिक्षाई योजना, राष्ट्रीय वाल स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादी का प्रचार प्रसार करना तथा योजनाओं के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी व जागरूक करना तथा लोगों को उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- 17- समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापनार्थ एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना तथा समाज के पिछडे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की नहिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साप्टवेयर, डी०टी०पी०, सिलाई कढाई, बुनाई, पेटिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गुणोंज्ञ आदार, मुरब्बा, माविस, पत्तल, अगरखत्ती, गसाल, ब्युटीपार्लर की जानकारी देना तथा लोगों द्वारा ग्रामोद्योग, खादी कृषीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, रैक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
- 18- समाज के निपुण वर्ग हेतु औद्योगिक जैसे टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टर्नर, इलेक्ट्रोशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, लघु तथा कुटीर इलेक्ट्रोनिक मोटर वाईडिंग, टी० वी० प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा नवते प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उसे संचालित करना।
- 19- कृषि विकास हेतु आवृनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिचाई के साधन, तथा कृषि से संबन्धित अन्य जानकारी कृषकों को निःशुल्क दिलाना। जिससे कृषि उपज को बदावा मिल सके एवं उद्यान विभाग, मशरूम बोर्ड, कृषि विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक बनीषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा लोगों को निःशुल्क वितरण करना।
- 20- पशुपालन, गौ पालन व गौशाला व नमुक्खी पालन तथा उपयोगी पशु पक्षियों के पालन तथा उनसे प्राप्त होने वाले दस्तुओं के उपयोग को जन जन तक पहुँचा कर उनकी उपयोगिता के लाभ को समाज के हर वर्गों तक पहुँचाने के सभी कार्य करना।
- 21- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बालकल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण से संबन्धित योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने में सहयोग करना।

प्रादिविक प्रशिक्षण

डिप्टी-कम्प्यूटर शैक्षिक

सीविता श्रीवास्तवा

द्वे० ३०

रजिस्ट्रेशन क्रमांक

सीता श्रीवास्तव

अधिकारी

२०२२

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

सहायक-रजिस्ट्रार

- 22- निर्वन तथा कमजोर दर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास का निर्माण करना व उसके व्यवस्था का संचालन करना।
- 23- देश-विदेश से आये विद्यार्थियों, बौद्ध भिषुओं, व्यापारियों व किसानों के उहरने हेतु धर्मार्थ घर्मशालाओं का निर्माण करना व उसकी व्यवस्था का संचालन करना।
- 24- महिलाओं को स्वाधारणी बनाने हेतु टेकिनिकल विद्यालयों, कृषि विद्यालयों की स्थापना करना तथा उसके माध्यम से उन्हें सिलाई, कढाई, करीदाकारी, बुनाई, तथा वस्त्रोद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाना तथा कोष्ठकला उद्योग का संचालन करना।
- 25- दैरी आपदा, भूकम्प, बाढ़, सुनामी इत्यादि से पीड़ित जनों की सहायता करना तथा हैजा, प्लेग, टी०वी० महामारियों से समाज को बचाने के लिए तथा ऐड्स जैसे बीमारियों के फैलाव को रोकने के हेतु हर संभव प्रयास करना तथा कुख्य निवारण एवं विकलांगता को दूर करने के लिए निःस्वार्थ सेवा करना।
- 26- समस्त विश्व को एक सूत्र में धिरोने का कार्य करना तथा समाज को साझर बनाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 27- शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना तथा विशेष कर मुकुबधिर/विकलांगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना एवं विकलांग बालक वालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध करना तथा निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।
- 28- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्यों को करना तथा हेतु जगह सेवा केंद्रों व विकित्सालयों, विकित्सा शिक्षा केन्द्रों, बीमारों के परिचारकों के लिए हेतु आश्रम गृहों का निर्माण एवं संचालन कर दिना लाल हानि के सेवा भाव से कार्य करना तथा जनसंख्या हेतु परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं तरीकों के प्रति आम जन भेदभावशक्ता पैदा करना तथा केन्द्र एवं ऐड्स जैसे रोगों के बचाव हेतु जन चेतना जागरूकता व निदान हेतु सभी प्रकार के कार्य संचालित करना तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कंप्रेंजुलाकर लोगों का इलाज करना एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने हेतु सभी प्रकार के कार्य करना।
- 29- आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्युनिटी हाल, बारात घर, बृद्धा आश्रम, महिलाओं के लिए आश्रम, अनाथालय, प्याऔ, वादनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि नियास, शॉर्ट स्टे होम, मुकुबधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 30- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा उ००० सरकार, भारत सरकार व राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना।
- 31- पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में हर सम्बद्ध कार्य कर प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा मानव जीवन के प्रति हितोंपैशु पशु पक्षियों के विलुप्त होती प्रजातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्यों को करना।
- 32- समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, रोमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन व संचालन करना।

प्राक्तिक्रिया

जितेन्द्र कुमार शिवसर

सीता श्रीवर्षी रमेश

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Mahrajganjअधिकारी
प्रियंका

सहायक गोपनीय

प्राक्तिक्रिया

मोहा उमा
राजेश कुमारChairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Mahrajganj

- 33- समाज के मूक, बधिरो, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यको, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोशित वर्म के लोगों के उत्थान हेतु कार्य करना।
- 34- खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड उद्योग खादी एवं ग्रामोदय आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार काष कला, लौहकला एवं अन्य ग्रामोदय इकाईयों की स्थापना प्रचार प्रसार व संचालन करना।
- 35- राष्ट्रीय रक्षा एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा उससे सम्बन्धित हर संबंध प्रयास एवं कार्य करना।
- (5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनकों संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमादली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौषा गया है :-

क्र० र०	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	श्री शीतल प्रसाद गुप्ता	संस्कार	मु० साहबगंज, जिला गोरखपुर।	समाजसेवा
2	श्री जिरोन्द्र कुमार श्रीवास्तव	श्री लालतालाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष	सूर्यकुण्ड जिला गोरखपुर।	समाजसेवा
3	श्री मुरोश कुमार श्रीवास्तव	स्व० केसी श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष	मु० हुमायुपुर उत्तरी गोरखपुर।	समाजसेवा
4	डॉ० मंगलेश कुमार श्रीवास्तव	स्व० डॉ० आद्या प्रसाद	मंत्री/ व्यवस्थापक	तिलक पैथालाजी यवराजीपुर गोरखपुर।	विकित्सक
5	श्रीमती साविता श्रीवास्तव	डॉ० मंगलेश कुमार श्रीवास्तव	सह-व्यवस्थापक	शाहपुर जिला गोरखपुर।	कृषि
6	श्री लाल बहादुर सिंह	स्व० रामलखन सिंह	कोशिक्षक	पिपरालाला प०० पिपरपाती महाराजगंज	नौकरी
7	श्री अजनी कुमार श्रीवास्तव	श्री विजौ श्रीवास्तव	सदस्य	साया बाजार, जिला गोरखपुर।	नौकरी
8	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	सदस्य	प०० रहमत नगर घासी कटरा शहर गोरखपुर।	समाजसेवा
9	श्री चन्द्रेश कुमार श्रीवास्तव	स्व० डॉ० अद्याशुभ्रसुद्धा श्रीवास्तव		पिपरालाला प०० पिपरपाती जिला महाराजगंज।	कृषि
10	श्री रुपेश कुमार श्रीवास्तव	स्व० डॉ० आद्या प्रसाद	सदस्य	ग्राम व प०० रजौड़ा खुर्द जिला महाराजगंज।	नौकरी
11	श्रीमती सीता श्रीवास्तव	श्री पंकजेश श्रीवास्तव	सदस्य	ग्राम व प०० रजौड़ा खुर्द जिला महाराजगंज।	कृशि
12	श्रीमती सिता श्रीवास्तव	श्री रुपेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	ग्राम व प०० रजौड़ा खुर्द जिला महाराजगंज।	समाजसेवा

*क्रियाकालीन प्रमाण**क्रियाकालीन प्रमाण**जिलेश कुमार श्रीवास्तव**जिलेश कुमार**जिलेश कुमार
श्रीवास्तव**जिलेश कुमार
श्रीवास्तव**श्रीविता श्रीवास्तवा
सिता, कुमार**राजेश कुमार**सीता श्रीवास्तव राजेश**अमित गुप्ता**अमित गुप्ता**Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj**PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj**सहायक शिक्षक
उपर्युक्त स्कूलिंग एवं प्रिम्य*

13	श्री अमित जालान	श्री मुरारीनन्दन जालान	सदस्य	गोपालगढ़ आजाद नगर गोरखपुर।	समाजसेवा
14	श्री रामकृष्णाल	रव० महावीर प्रसाद दग्धा	सदस्य	पुस्तक स्थान भटहट जिला गोरखपुर।	कृषि
15	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	स्व० रमाप्रसाद श्रीवास्तव	सदस्य	सुभेर सामर जिला गोरखपुर।	पत्रकार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरांकित संशोधित संस्कृत पूर्व एवं संलग्न संशोधित नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्टरेशन एकट की घारा 21 सन् 1860 के दिन सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

दिनांक २५ अक्टूबर १८६०

जिले तेज़ गढ़ गोरखपुर
पंचायती नगर

संस्कृत श्रीवास्तव

श्रीता श्रीवास्तव

रिमेटा

अक्टूबर

१८६०

सत्य - प्रतीलिपि
सहायक राजद्वारा
जर्स सोसाइटीज तथा विद्यु
उप० गोरखपुर

प्रतीलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता... ०२-१-२०२१

CX
PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

संशोधित परिनियम

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. संस्था का नाम | श्री विष्णु भगवान पशुपति नाथ शिक्षा समिति। |
| 2. संस्था का पूरा पता | ग्राम-पिपरा लाला, पोस्ट-पिपरपाती, तहसील-सदर,
ज़िला-महाराजगंज। |
| 3. संस्था का कार्य क्षेत्र | सम्पूर्ण उठाफ़ू। |

सदस्यों की अर्हताएँ

1. चरित्रवान् समाज रोधी तथा शीलवान् होना।
 2. भारत का नायरिक होना, भारत को एक राष्ट्र मानना एवं राष्ट्र प्रेमी होना।
 3. समिति के उद्देश्यों एवं परिनियमों में विश्वास करना।
 4. समाज विरोधी किसी भी कार्य में लिपा ना होना।
 5. समिति के निर्णयों का अनुपालन करना तथा उसके अनशासन में रहना।

सदस्यता के प्रकार

- 1) संस्थापक सदस्य 2) सह संस्थापक सदस्य 3) विशेषज्ञ सदस्य 4) पदेन सदस्य
 संस्थापक सदस्य – मार्च 1991 तक धन, सम्पत्ति एवं श्रम द्वारा जिन व्यक्तियों ने सक्रिय सहयोग देकर
 संस्थापने को स्थापित किया, उन्हें संस्थापक सदस्य माना गया तत्सम्बन्धी उल्लेख सृति-पत्र में किया
 गया है।

सह संस्थापक सदस्य – जिन व्यक्तियों को सर्वसम्मति या यहुमत से संस्थापक सदस्य समिति के लिए उपयोगी समझेंगे जो समिति की सदस्यता स्वीकार करेंगे, साथ ही सदस्यता के योग्य होंगे वे सह संस्थापक सदस्य बनेंगे।

विशेषज्ञ सदस्य के समीत, शिक्षा, समाज सेवा, कला, विज्ञान, आध्यात्म आदि के क्षेत्र के दो विशिष्ट व्यक्ति जिनके संझौते से समिति के गौरव में बढ़ि हो इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता भिले, समिति को क्रहयोग प्रदान बनाना चाहते हैं, और जिन्हें व्यवस्थापक नामित करे, वे इस कोटि के सदस्य होंगे।

~~पदेन सदस्य~~ * विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था का अन्य कोई वेतन भोगी सर्वोच्च अधिकारी और आशार्य आविष्यि या अन्य समक्ष प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे।
~~उल्लङ्घन~~ को समाप्ति या लोप - निम्नलिखित स्थिति में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी दृ (1)

सदस्य की मृत्यु (2) पानलपन (3) समिति विरोधी आचरण (4) दिवालियापन (5) समिति के गरिबा एवं महत्ता के खिप्पीत क्रिया कलाप (6) किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्ड (7) समिति की बैठकों में अंकारण बिना सूचना लेपातार तीन बार अनुपरिणति (8) समिति के कार्यों के प्रति उदासीनता (9) निश्चित समय पर निर्धारित सदस्यता शल्क न जमा करने की स्थिति आदि।

शनिति के उपाय एवं उनका संचालन

(क) सामान्य सभिति (ख) परामर्शदायी सभिति तथा कार्य सभिति।

सामान्य समिति— इसमें उपयुक्त सभी प्रकार के सदस्य सम्मिलित होंगे। इसके विशेष पदाधिकारी संरक्षक एवं उप संरक्षक होंगे। इनके अतिरिक्त कार्य समिति के सभी पदाधिकारी इस समिति के भी पदाधिकारी होंगे।

परामर्शदायी समिति – कार्य समिति के अध्यादा, उपाध्यादा, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक, कोशाध्यास, पिशेशाजा सदस्यों द्वारा मनोनीत या चयनित इस समिति के संयोजक प्रधानाधार्य या संस्था का वेतनमानी।

५ प्रथम भाग

ବିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶ୍ରୀମତୀ

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Piplala, Maharashtra

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Piplalaia, Maharashtra

सहायक रजिस्टर

सर्वोच्च अधिकारी (प्रभारी) ग्राम प्रधान या नगरपालिका सदस्य (जहाँ संस्था स्थित है), तथा मुख्य अभिभावक प्रतिनिधि इस समिति के पदाधिकारी होंगे। साथ ही अन्य सभी विशेषज्ञ सदस्य भी इस समिति में सदस्य होंगे।

कार्य/प्रबंध समिति – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक, कोशाध्यक्ष, संस्थापक वर्ग के सभी प्रतिनिधि, प्रधानाधार्य (प्रभारी) तथा आधार्य प्रतिनिधि इसमें समिलित हैं।

टिप्पणी

1. संस्थापक एवं सह संस्थापक वर्ग के सदस्यों में से ही संरक्षक, उपसंरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोशाध्यक्ष हो सकेंगे, किन्तु व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक तथा संस्थापक वर्ग के सदस्य प्रतिनिधि मात्र संस्थापक वर्ग के सदस्य हो सकते हैं।
2. विशेषज्ञ सदस्य – इस वर्ग के सदस्य वे व्यक्ति होंगे, जो संगीत, शिक्षा, कला, विज्ञान, धर्म या समाजसेवा आदि के विशेषज्ञ हों। ये किसी वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। ये अपने में से ही किसी एक को संयोजक मनोनीत करेंगे या चुनेंगे।
3. आधार्य प्रतिनिधि या अन्य समक्ष कार्यकारी प्रतिनिधि – विद्यालय के आचार्यगण या अन्य समक्ष कार्यकारी व्यक्ति अपने में से ही किसी को आधार्य प्रतिनिधि या समक्ष कार्यकारी प्रतिनिधि मनोनीत या चयनित करेंगे।
4. मुख्य अभिभावक प्रतिनिधि – छात्रों के अभिभावकों के परामर्शदायी समिति में प्रतिनिधित्व के लिए विद्यालय के छात्रों से समन्वित गाँवों या क्षेत्रों का कोई एक अभिभावक प्रतिनिधि, मुख्य अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत या चयनित किया जायेगा, उक्त अलग-अलग गाँव या क्षेत्र विशेष के लिये कई अभिभावकों को अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत या चयनित किया जायेगा। मनोनयन या चयन अभिभावक द्वारा किया जायेगा। अपने में से ही ये प्रतिनिधिगण मिलकर मुख्य अभिभावक प्रतिनिधि का मनोनयन या चयन करेंगे।
5. संस्थापक वर्ग के सदस्य अपने वर्ग से ही व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक एवं अधिकतम तीन प्रतिनिधि कार्य समिति के लिए मनोनीत या चयनित करेंगे।
6. संस्थापक वर्ग के सदस्यों के पर्याप्त संख्या में किसी कारण से उपलब्ध न होने पर समूचे संस्थापक सदस्यों की सहेमति से किसी व्यक्तिव्यक्तियों को नामित कर सकेंगे।
7. संस्थापक एवं सह संस्थापक वर्ग के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोशाध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। संरक्षक एवं उप संरक्षक का मनोनयन या चयन सामान्य समिति द्वारा किया जायेगा। 8. संरक्षक एवं उपसंरक्षक संस्थापक एवं सह संस्थापक वर्ग के सदस्यों में से ही छोड़े जाएंगे।

कार्य विभाजन

सामान्य समिति के कार्य - (1) प्रति तीव्र

विद्यालय सत्र – (प्रत्येक सत्र 15 जून से 14 जून तक) के बाद मनोनयन या चयन द्वारा कार्य समिति का गठन कराना एवं निर्वाचन कार्यसमिति से नयगतित कार्य समिति को कार्यभार हस्तानान्तरित कराना।

2. कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत वार्तिक विवरण की समीक्षा करना एवं वार्तिक बजट की पुष्टि करना।
3. कार्य समिति द्वारा किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करना एवं आवश्यक निर्देश देना।

लाला प्रियाप्रसाद

जिम्मेदार लाला प्रियाप्रसाद

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

महाप्रकरण प्रियाप्रसाद

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

संखक के कार्य – (1) समिति की संखा का भार बहन करना। (2) सामान्य समिति की बैठकों की अवधारणा करना। (3) तीन सत्र के बाद कार्यसमिति का गठन करना एवं नवगठित कार्यसमिति को कार्य हस्तान्तरित करना।

उपसंखक के कार्य – सामान्य समिति सम्बन्धी कार्यों में संखक की सहायता करना और उनकी अनुपस्थिति में संखक के सम्पूर्ण कार्य करना।

परामर्शदायी समिति के कार्य

- (1) समिति को सत्य प्राप्ति देना।
- (2) शिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलालक एवं नैतिक स्तर को ठीक रखने का सुझाव देना।
- (3) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित एवं उक्तनीकी परामर्श देना।
- (4) विद्यालय की साज-सज्जा, उपकरण, स्वच्छता, भवन निर्माण के लिए सख्त सुन्दर एवं कल्याणकारी मार्ग बताना।
- (5) विद्यालय एवं समिति के गौरव को कायम रखने का प्रयास करना।

कार्य/प्रबंधसमिति के कार्य

1. परामर्शदायी समिति के सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना एवं यथा संभव इन्हें क्रियान्वित करना।
2. समिति को सभी प्रकार के सदस्यों की कुशलता एवं कार्यकारीता का लाभ उपलब्ध कराना।
3. समिति के हित में विभिन्न परिशदों या उप समितियों का गठन करना तथा उनके कार्यों को नियन्त्रित करना।
4. समिति की कार्यकारीता में वृद्धि का प्रयास करना।
5. समिति की व्यवस्था एवं नियंत्रण एवं नियन्त्रण करना।
6. समिति के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत करना।
7. समिति के हित में किसी भी कार्यकार का समझौता करना या उन्हें रद्द करना।
8. किसी भी अवसरों के विभिन्न किसी भी सदस्य को विशेष कार्यभार सौंपना।
9. आवकारियों एवं अन्तर्राष्ट्रीयों के वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता आदि की धनराशि निर्धारित करना।
10. विद्यालय तथा समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को नियमानुसार एवं योग्यता के अन्तर्पर भरना।
11. सदस्यों पर आपराधिकतानुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या उन्हें पुरस्कृत करना।
12. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का चयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना।
13. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर साधारण सभा से अनुमोदन करना।
14. संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आपराधिकता अनुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
15. कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना।
16. व्यवस्थापक द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना।
17. संस्था के विकास हेतु अवश्यक कार्य करना।
18. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्राप्यती भारतीयों से दान एवं उपहार प्राप्त करना।

प्रिन्सिपल

जिनेन्द्र कुमार शिवास्त्र

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

साहाय्यक ग्रनिट्स्ट्राई
फाउंडेशन एवं विद्युत

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

19. प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेंसी तथा बैंको द्वारा कार्डकर्मी के संचालन हेतु ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
20. विशेषज्ञों, बुद्धजीवियों से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।
21. केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कफार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
- 22. आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई० बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध मान्य होगे**
- क विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय – समय पर नियोनीकरण कराया जाय।
- ख विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभित एक सदस्य होगा।
- ग विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिष्ठत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- घ संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान उत्तर संभाप्त हो जायेगी।
- सेवा एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायें।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों द्वारा जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायें।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया राज्य गोपनीय प्रधानमंत्री का विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम के से इतक स्वीकार ह।
- झ उक्त शर्तों में विना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संसोधन नहीं किया जायेगा।
23. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों को उपलब्ध कराना तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर पारित आदेश का पालन करना।
24. समिति विभिन्न शिखविद्यालय के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कर महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी०ए३०, बी०पी०ए३० तथा बी०टी०सी० का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
25. संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्भाव करती है तो समिति के नियम नियमावली एक ही होगी।
26. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्धता कायम करना।

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

महाविद्यालय
रजिस्ट्रार

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

27. समिति द्वारा जितने भी रकूल खोले जाएंगे उसके लिए एक ही प्रबंधसमिति होगी।

अध्यक्ष के कार्य - (1) कार्यसमिति के क्रिया-कलापों पर उपयुक्त नियन्त्रण रखना। (2) अपनी अनुपस्थिति में अपने कार्यभार को सुधारनुसार उपाध्यक्ष या व्यवस्थापक को सौंपना। (3) कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

उपाध्यक्ष के कार्य - (1) अध्यक्ष के उपयुक्त कार्यों में सहायता करना। (2) उनकी अनुपस्थिति में यथा निर्दिष्ट कार्यों को करना एवं उनके दायित्व को बहन करना।

व्यवस्थापक के कार्य - (1) संरक्षक को कार्यसमिति के महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना देना। (2) परामर्शदायी समिति के सूझावों की संवीक्षा करना एवं उन्हें कार्यान्वयित करना। (3) अध्यक्ष, कोशाध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य के सहयोग से बजट बनाना, कार्यसमिति से पारित करना और सामान्य समिति से उसकी पुष्टि करना। (4) बजट के अनुसार व्यय आदि का प्रबंध करना। (5) व्यय देयक, आदि को स्वीकृत करना एवं बैंक के सातों का संचालन करना। (6) समिति की बैठकें बुलाना, उनकी व्यवस्था करना और बैठकों की कार्यपाली आदि का विवरण लिखना। (7) कार्यसमिति की सहगति से समिति के हित में मुकदमों को दाखिल करना, उनकी पैरवी का प्रबंध करना तथा अन्य न्यायालय के कार्यों में समिति का प्रतिनिधित्व स्वयं करना या उसके लिए किसी अन्य सदस्य को अधिकृत करना। (8) विशेष परिस्थिति में अपने दायित्व को सह व्यवस्थापक या अन्य सदस्य को सौंपना। (9) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति के अवसर पर कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। (10) समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त करना। (11) बजट से परे, किसी अप्रत्याशित, किन्तु उपर्योगी एवं आवश्यक कार्य के लिए अतिरिक्त घनराशि व्यय करना एवं यथाशीघ्र उसकी स्वीकृति अध्यक्ष से प्राप्त करना। (12) समिति के हित के अन्य कार्य भी करना। (13) समिति एवं विद्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी, फैले नियन्त्रण, नियुक्ति करना एवं कार्यमुक्त करना। (14) सामान्य समिति, परामर्शदायी समिति एवं कार्यसमिति का समावोजन करना।

सह व्यवस्थापक के कार्य - (1) व्यवस्थापक का सहयोग करना। (2) व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को योग्यता।

कोशाध्यक्ष के कार्य - (1) वित्तीय अनशासन की देख रेख करना। प्रतिमास समिति के आय व्यय काजा या करना। (2) वित्तीय अभिलेख को ठीक रखना। (3) अनुदान, पुस्कार शुल्क आदि में प्राप्त घनराशि एवं समझौतों की भी लेखा-जोखा रखना/रखाना। (4) कार्यसमिति की बैठकों में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।

कार्यसमिति के प्रतिनिधियों के कार्य - (1) व्यवस्थापक के निर्देशानुसार समिति के हित में कार्य करना। (2) सामात कागारमा बनाये रखना और उसका उन्नयन करना। (3) समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों को निष्ठापूर्वक करना।

विशेषज्ञ सदस्यों एवं उनके प्रतिनिधियों के कार्य -

1. अपनी योग्यता, विशेषज्ञता एवं पद के अनुरूप समिति को लाभान्वित करना।
2. समिति के हित में उचित परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।
3. अपने हेत्र के विशेषज्ञों से समिति को परिवित करना एवं उनका सहयोग समिति के कार्यों में प्राप्त करना।

मुख्य अनिवार्य प्रतिनिधि के कार्य

1. समाज एवं विद्यालय के निर्मल संबंध में वृद्धि करना।

डॉ. प्रियंका प्रसाद

टीचर्स-फूल श्रीकृष्ण

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

सहायक निमिस्त्रार

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

2. अभिनावकों, अभिनापक प्रतिनिधियों तथा भावी अभिनावकों और विद्यालय के संबंधसूत्र के रूप का कार्य करना।
3. अभिनावकों को विद्यालय हित के कार्यों में लगाना तथा परामर्शदायी समिति के विचार-प्रिमर्श में सही सामीदारी निभाना।

बैठक और सूचनाएँ

सामान्य समिति की बैठक प्रायः वर्ष में एक बार मई के अन्तिम सप्ताह या जून के प्रारम्भ में होगी। इस बैठक में पूरा समिति-परिवार एकत्र होगा।

इस बैठक के विचारणीय विषय - प्रायः गत वर्ष के क्रिया-कलापों एवं आय-व्यय का विवरण आगामी वर्ष की योजना की रूपरेखा तथा क्रियान्वयन आदि होंगे।

जिस वर्ष कार्य समिति का गढ़न अपेक्षित है, उस वर्ष वार्षिक बैठक के बाद कार्य समिति के गढ़न पर भी विचार होगा (14 जून के लगभग नवगठित कार्य समिति को कार्यभार हस्तान्तरित) करने का कार्य सम्पन्न होगा।

परामर्शदायी समिति की बैठकों में आवश्यकतानुसार विचारणीय विषय होंगे। बैठकों की आवृत्ति आवश्यकतानुसार होगी। परामर्शदायी समिति से सम्बन्धित पदाधिकारी एवं सदस्य आहूत किये जायेंगे।

कार्यसमिति की बैठकों में उसके समस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकृत सदस्य आहूत किये जायेंगे। नियमित बैठकें साल में तीन बार होगी, साथ ही, आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी हुआ करेगी।

प्रायः दोषपूर्ण सार के उन्नयन, वित्तीय समस्याओं, विद्यालयी अनुशासन, साज-सज्जा, उपकरणों भवन के विचक्ता मरम्भत एवं निर्माण आदि की व्यवस्था पर विचार-प्रिमर्श किये जायेंगे।

सभी प्रकार कार्यसमिति को बुलाने का मुख्य दायित्व व्यवस्थापक का होगा। यथासंभव अन्य पदाधिकारियों के प्रमुख से तिथि एवं समय निरिचित करना उचित होगा। साथ ही संरक्षक या अध्यक्ष भी विशेष स्थिति में बुला दुला सकते हैं।

सूचनाएँ

किसी भी बैठक की सूचनाएँ व्यवस्थापक, संरक्षक या अध्यक्ष में से किसी के भी हस्ताक्षर एवं समिति की मुद्र से जारी की जायेगी। सामान्य समिति की बैठक की सूचना बैठक के दिनांक से, न्यूनतम दो सप्ताह पूर्व पंजीकृत टाक या विशेष पत्रवाहक द्वारा भेजी जायेगी। परामर्शदायी समिति एवं कार्यसमिति की बैठक की सूचना बैठक की विधि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विशेष पत्रवाहक द्वारा या कम से कम दस दिन पूर्व पंजीकृत टाक द्वारा भेजी जायेगी। आकर्षिक या विशेष बैठक बुलाने हेतु बैठक की तिथि से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व सूचना भेजी जा सकती है।

अण्पूर्ति

सामान्य समिति की बैठकों में कम से कम संरक्षक तथा उपसंरक्षक में से किसी एक व्यवस्थापक तथा राह व्यवस्थापक में से किसी एक को मिलाकर $1/7$ की उपस्थिति, कार्यसमिति की बैठकों में कम से कम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक में से किसी एक समेत $1/3$ की उपस्थिति गणपूर्ति के लिये आवश्यक है। गणपूर्ति या अन्य किसी कारण से स्थगित बैठकों में गणपूर्ति का प्रस्तु नहीं होगा।

लगानीकालीन

जिन्नद कुगर शिवाली

✓

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

✓
सहायक निदार

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

हाँ, बैठक के विचारणीय विश्वाय स्थगित बैठक वाले ही होने चाहिए तथा सामान्य समिति में संखक, उपसंखक, अध्यत, उपाध्यक, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक में से किसी एक का उपस्थित रहना तथा कार्य समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य है। परामर्शदायी समिति की बैठकों में कार्यसमिति के पदाधिकारियों में से किसी एक तथा विशेषज्ञ सदस्य-संयोजक का छोना आवश्यक है। इसमें गणपूर्ति का कोई प्रस्तुत नहीं है।

पदाधिकारियों के कार्यकाल

संखक, उप संखक एवं विशेषज्ञ सदस्य प्रतिनिधियों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, किन्तु समिति के हित एवं उन्नति के उद्देश्यों से उनके स्थान पर मनोनीत या चयनित करना अपरिहार्य हो तो, व्यवस्थापक की अध्यक्षता में सामान्य समिति संखक, उप संखक को और विशेषज्ञ सदस्य प्रतिनिधियों को विशेषज्ञ सदस्य कभी भी मनोनीत या चयनित कर सकते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक, कोशाध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य प्रतिनिधियों का कार्यकाल तीन वर्ष तक का होगा। प्रधानाधार्य का कार्यकाल समिति के प्रख्युत विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि और प्रधानाधार्य का दायित्व वहन करने तक रहेगा। ग्राम समा के आगामी चुनाव तक ग्राम प्रबान का कार्य काल होगा। जैश अन्य पदेन सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष तक का होगा। निधारित कार्यकाल के मध्य में, किन्हीं कारणों से कोई स्थान रिक्त होने पर, उसे व्यवस्थापक वर्गनुसार सदरयों में से किसी को उस स्थान के लिये नामित कर सकता है, जो सामान्यतः आगामी मनोनयन का चयन तक की अवधि के लिए होगा।

मनोनयन या चयन

समिति की भावन्यस्थि है कि चयन की अपेक्षा मनोनयन को वरीयता दी जाय और इसे श्रेयस्कर समझा जाय, किन्तु जहाँ चर्चक-अपरिहार्य हो, उसकी व्यवस्था निम्नलिखित होगी।

संखक या उपसंखक की देख-रेख में अध्यक्ष, उपाध्यक, व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक एवं कोशाध्यक्ष का मनोनय या चयन संस्थापक तथा सह संस्थापक वर्ग के सदस्यों द्वारा निश्चित वर्गों के सदस्यों में ही होगा तथा दार्शक बैठक के समय यथा शीघ्र सम्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सदस्य संयोजक का विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उन्हीं में से व्यवस्थापक की देखरेख में मनोनयन या चयन कभी भी किया जा सकता है। प्रधानाधार्य या व्यवस्थापक की देखरेख में अभिमानक प्रतिनिधियों एवं मध्य अभिमानक प्रतिनिधि का चुनाव में से मनोनयन या चयन होना जो सत्र के आरम्भ होने के बाद यथाशीघ्र करा लिया जायेगा। ओपीयों में से ही आचार्यगण, आचार्य प्रतिनिधि मनोनीतचयनित करेंगे। यह मनोनयन या चयन भी प्रधानमन्त्री या व्यवस्थापक की देखरेख में यथासंभव होगा।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

सर्वसम्मति के आधार पर लिया निर्णय श्रेयस्कर होगा, किन्तु ऐसा न होने की दशा में बहुमत के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। बैठक में उपस्थित देख सदस्य, पदाधिकारी व प्रतिनिधि का एक-एक मत होगा। पक्ष-विफ़ज़ में वरावर-वरावर या दो प्रत्याशियों के पक्ष में समान मत होने पर पीढ़ासीन अधिकारी जिसकी देख-रेख में मनोनयन, चयन या मत निर्णय हो रहा है, एक अतिरिक्त निर्णयक मत प्रदान करेंगे। सर्वसम्मत या बहुमत से लिया गया निर्णय समिति का निर्णय होगा। यह सम्पूर्ण समिति-परिवार (सदस्य, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, वेतन भोगी अधिकारी तथा कर्मचारी) को मान्य होगा। इसके कार्यान्वयन में सभी का सहयोग अपेक्षित है। समिति के किसी नी निर्णय के विरुद्ध समिति से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण अनुशासनिक कार्यवाही के योग्य होगा। ऐसे व्यक्ति को समिति की सदस्यता, पद तथा कार्य से बिमुक्त किया जा सकेगा।

प्रिप्रलाला प्रिप्रला

जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Piplala, Maharajganj

महायोग, गनिमदन
काम और लाइटीन एवं टिक्किय

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Piplala, Maharajganj

दितीय अनुबासन

समिति की कोई भी धनराशि बैंक या डाकघर में रखी जायेगी। व्यवस्थापक के अतिरिक्त अध्यक्ष या सह व्यवस्थापक में से किसी के संयुक्त हस्ताक्षर से उक्त धनराशि का अभिसंचालन होगा।

यदि समिति का कोई घटक या पिंडालय किसी उच्च संस्थान से सम्बद्ध किया जायेगा तो बैंक या डाकघर में जमा धनराशि का संचालन उक्त संस्थान के नियमों के अनुसार होगा। अनुदान, उपहार, शुल्क आदि रसीद देकर लिये जायेंगे। समिति द्वारा धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। वित्तीय व्यवस्था का पूरा-पूरा अभिलेख रखा जायेगा।

शुल्क

संस्थापक एवं सह संस्थापक सदस्यों को एक सी इकायावन (151) रूपये ग्राति तीन वर्ष सत्र के लिये कुल आग्रह के रूप में देय होगा। यह शुल्क महंगाई के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वार्षिक वर्ष के सदरयों में से कोई भी अन्य व्यक्ति समिति के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति समिति के लिये उपयोगी किसी प्रकार की सामग्री या धनराशि स्वेच्छा से देता है तो समिति उसे सहर्ष स्वीकार करेगी। वैसे पदेन सदस्यों एवं विशेषज्ञ सदस्यों के लिये कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।

संस्था के परिनियमों में संशोधन प्रक्रिया

एससी के परिनियमों में संशोधन प्रक्रिया कार्य समिति के सभी वर्ष के सदस्यों की सहमति या 2/3 बहुमत के बोधार पर विद्या जायेगा, किन्तु यह समिति के उद्देश्यों के विपरीत कदापि नहीं होगा।

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आइट)

संस्था के आय-व्यय का व्याख्यानिक आइट किसी मान्यता प्राप्त आइटर द्वारा कराया जायेगा। संस्था का अभिलेख।

1. सदस्यता पंजी

2. कार्यवाही पंजी

3. स्टाक पंजी

4. कैश बुक

संस्था का विघटन

किसी अपरिहार्य कारण वश यदि समिति का विघटन हो जाता है, तो समिति की संपत्ति को (धारा 13 और 14) के अनुसार किसी अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था या समिति को हस्तान्तरित की जा सकती है।

द्वितीय

सत्य प्रतिलिपि

प्रिप्रलाला पुस्तक

जितन्द्र तुगड़ मालवा

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक राजिका
कर्म संस्कारित
PRINCIPAL
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

Chairman & Manager
A.P.M. Academy
Pipralala, Maharajganj

प्रतिलिपि कर्ता.....

मिलान दर्ता... 025722021



GT-18451

~~માન્ય ભાગથી પણ પણ નાથ~~
~~સાંસ્કૃતિક વિદ્યા~~
 નાથ વિદ્યા 01/07/2021
 ગુજરાત રાજ્ય માન્યાની 21, અધ્યાત્મ 1000
 ગુજરાત સાંસ્કૃતિક વિદ્યા

01/07/2021
 ગુજરાત સાંસ્કૃતિક
 વિદ્યા